Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Regarding scheduled tribe status to Lohara caste in Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान लोहार समाज की समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सन् 1950 ई. में रोमन लिपी में Lohara जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। जिस तरह से केरल को Kerala, कर्नाटक को Karnataka, योग को Yoga इत्यादि लिखा जाता है, इसी तर्ज पर लोहार को संविधान में Lohara लिखा गया। लेकिन सन् 2006 में संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 के द्वारा Lohara का हिन्दी रूपांतरण लोहारा कर दिया गया, जिसके कारण लोहार समाज को मिलने वाला अनुसूचित जनजाति का अधिकार छिन गया। क्योंकि बिहार में लोहारा और लोहरा नाम की कोई जाति निवास नहीं करती है। ऐसी परिस्थिति में लोहार समाज के लोग अपने मूल अधिकार से वंचित हो रहे हैं। बिहार में लोहारा या लोहरा जाति नहीं पाई जाती है और न ही लोहारा, लोहरा के निवास, जनसंख्या एवं भूमि संबंधित दस्तावेज ही बिहार सरकार के पास उपलब्ध है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 को रद्द कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए जिससे कि लोहार (Lohara) जाति को पूर्व की भांति अनुसूचित जनजाति के रूप में खोया हुआ अधिकार मिल सके।

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Riti Pathak - Not present.